न्यायालय अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, सिकरहना (ढ़ाका), पूर्वी चम्पारण

घोड़ासहन (लखौरा) थाना कांड संख्या– 248 / 18

07.09.19

काराधीन अभियुक्त भाग्यनारायण राय की ओर से दाखिल दिनांक 06.09.2019 के जमानत आवेदन को चालित करते हुए इनके विद्वान विधिज्ञ श्री गुलशन ठाकुर का कहना है कि अभियुक्त निर्दोष है तथा कोई अपराध कारित नहीं किए है। इनका यह भी कहना है कि सह अभियुक्त के संस्वीकृति ब्यान के आधार पर इनका नाम आया है तथा मुन्ना कुमार तथा अभियुक्त के बीच दुश्मनी चल रही है। इस कारण इनका नाम दिया गया है। इनका यह भी कहना है कि इनके पास से कोई चोरी का सामान बरामद नहीं हुआ है तथा अभियुक्त दिनांक 02.09.2019 से कारा में है। अतः जमानत पर मुक्त किया जाए।

प्रतिउत्तर में अभियोजन द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया है। उभय पक्ष को सुना।

चूंकि प्राथमिकी धारा 411, 413, 414 / 34 भा.दं.वि के तहत पंजीकृत हुयी है जो अजमानतीय तथा संगीन अपराध है सह अभियुक्त मुन्ना कुमार के संस्वीकृति ब्यान के आधार पर इनका नाम आया है तथा इनकी इस कांड में संलिप्तता है। धारा 413 भा.दं.वि. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। वाद अनुसंधान में चल रहा है। अभियुक्त प्राथमिकी के नामित अभियुक्त है। अतः अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक अभियुक्त भाग्य नारायण राय की ओर में दाखिल जमानत आवेदन को **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी
सिकरहना स्थित ढ़ाका, पूर्वी चम्पारण।
दिनांक 07.09.2019